उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 6/2018/570/अस्सी-2-2018-200(1)/2011
लखनऊ :दिनांक 28 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए "उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23)" लागू किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रसंस्कृत तिल निर्यातको को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य होंगी-

(1) **इस नीति को "उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23)" कहा जायेगा।**

(2) **यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 05 वर्षो तक लागू रहेगी।**

(3) **उत्तर प्रदेश के निर्माता-निर्यातक, प्रदेश से निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल को उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल यदि किसान या किसान उत्पादक संघ (Farmer Producer Organisation) से सीधे क्रय करता है तो उसे 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत विकास सेस की छूट दी जायेगी।**

(4) **उत्तर प्रदेश के निर्माता-निर्यातक, यदि आढतियों के माध्यम से तिल का क्रय करता है तो केवल मण्डी शुल्क की 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।**

(5) **प्रदेश के निर्यातको को, जो स्वयं प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल निर्मित करके उसका निर्यात करते हैं, को इस नीति की सुविधायें अनुमन्य होंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के ऐसे निर्यातक, जो प्रदेश में स्थापित किसी तिल मिलर से प्रसंस्कृत तिल बनाने का अनुबन्ध करके प्रसंस्कृत तिल का निर्यात करते है, उन्हें भी इस नीति की सुविधायें अनुमन्य होंगी।**

(6) **निर्यात किये जाने की स्थिति में जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का रिफण्ड निर्यातक को प्राप्त होगा।**

(7) **इस नीति के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी निर्यातक के द्वारा मण्डी समिति में जमा करायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर अवमुक्त कर दिया जायेगा। बैंक गारण्टी के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 के द्वारा निर्गत किये जायेंगे।**

(8) **निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर सम्बन्धित मण्डी सचिव, द्वारा निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ0प्र0 को प्रकरण सन्दर्भित किया जायेगा, जिसके द्वारा बैंक गारण्टी की धनराशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।**

(9) **नीति में प्रसंस्कृत तिल का अभिप्राय वैल्यू ऐडेड अर्थात हल्ड सीसेस (धुली तिल) से है। दूसरे शब्दों में उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018-23) के अन्तर्गत वर्णित छूट/सुविधायें विभिन्न प्रस्तरो में वर्णित प्रतिबन्धों/शर्तो के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल के निर्यात की दशा में ही अनुमन्य होगा। किसी मिलर/निर्यातक द्वारा तिल (रॉ/नेचुरल) का निर्यात करने की दशा में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) कच्चे तिल से प्रसंस्कृत तिल एवं भूसी इत्यादि का अनुपात सामान्यतया 75:25 होता है। अत: यदि तिल मिलर/निर्यातक द्वारा 100 किग्रा0 कच्चे तिल का क्रय प्रसंस्कृत तिल बनाने के लिए किया जाता है तो तिल निर्यातक को निर्यात दायित्व सिद्ध करने के लिए कम से कम 75 किग्रा0 प्रसंस्कृत तिल का निर्यात करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे मण्डी शुल्क, विकास सेस की छूट तथा जी0एस0टी0 के राज्य अंश की प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रयोजनार्थ प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75 प्रतिशत माना जायेगा। प्रसंस्कृत तिल की प्राप्ति के पश्चात अवशेष 25 प्रतिशत पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा।

(11) मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट केवल विदेशी मुद्रा में किये गये निर्यात पर अनुमन्य होगी। भारतीय मुद्रा अर्थात रूपये में किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल निर्यात व्यापार को यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(12) प्रदेश के प्रसंस्कृत तिल का निर्यात रेल तथा सड़क मार्ग अथवा किसी भी बन्दरगाह/वायुमार्ग एवं थल मार्ग से किया जा सकेगा।

(13) निर्यातकों के द्वारा भारत सरकार की संस्था एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) में कराये गये पंजीकरण को मान्यता दी जायेगी। उन्हें प्रदेश में पृथक से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा।

(14) निर्यातको द्वारा निर्यात किये गये प्रसंस्कृत तिल की मात्रा का विवरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रतिमाह उपलब्ध कराना होगा। इसे उपलब्ध न कराने की दशा में निर्यातक इकाई का निर्यात दायित्व अपूर्ण समझा जायेगा।

(15) निर्यात दायित्व पूर्ण करने हेतु निर्यातको को मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिनों के अन्दर बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतियां एवं भुगतान प्राप्ति का विवरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।

(16) प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी, जो समय-समय पर नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी तथा प्रसंस्कृत तिल निर्माता-निर्यातको के समक्ष आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करेगी-

1	प्रमुख सचिव/सचिव कृषि, विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
4	अध्यक्ष एवं महामंत्री, उत्तर प्रदेश तिल निर्यातक संघ।	सदस्य
5	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
6	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य-संयोजक

(17) इस योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क, विकास सेस एवं व्यापार कर से छूट का लाभ पाने के लिए निर्यातकों/मिलर का उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत निर्धारित विनियमन व्यवस्थाओं एवं राज्य कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्यातकों/मिलर्स को नीति में निहित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रसंस्कृत तिल निर्यात से सम्बन्धित समस्त वांछित प्रपत्र एवं मासिक सूचना आदि का विवरण सम्बन्धित विभागो में निश्चित समय से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्यातकों/मिलर्स से मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के बराबर की धनराशि एवं उस पर नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2018/570/अस्सी-2-2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- खाद्य आयुक्त, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गए निर्देशों से अवगत करायेंगे।
8- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन), उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
13- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
14- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
16- आयुक्त, वाणिज्य कर स्टेशन रोड, लखनऊ।
17- समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
18- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम, कानपुर।
19- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
20- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
21- उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
22- स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
23- सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
24- सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
25- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

27- निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार कक्ष संख्या-11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

28- चेयरमैन, इण्डियन आयल सीड्स एण्ड प्रोड्यूज एक्सपोर्टस एसोशियेशन, 78-79 बजाज भवन, नारीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021।

29- अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।

30- उ0प्र0 तिल निर्यातक संघ, डी-235, विवेक विहार, नई दिल्ली 110095।

31- निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी, लखनऊ।

32- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

33- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिवराम त्रिपाठी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**